(46)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4303–पीबीआर/16 विरूद्ध सीमांकन दिनांक 16–11–2016 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक –..

सुभाष पिता स्व. नंदकिशोर ठाकुर
निवासी ठाकुर कॉलौनी मेनरोड रंगवासा
तहसील व जिला इंदौर ....आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

शिवनारायण पिता दयाराम खाती
निवासी ग्राम कोलूबाड़ चौक रंगवासा
तहसील व जिला इंदौर ....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे.एन. वर्मा अभिभाषक, अनावेदक

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 21.1.18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला इंदौर द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 16–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला इंदौर के आदेश क्रमांक 3459/भू–अभि./निरी./2016 दिनांक 21–10–2016 के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख, इंदौर द्वारा अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम रंगवासा तहसील राऊ जिला इंदौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 665/1 रकबा 0.954 हेक्टेयर का सीमांकन दिनांक 16–11–2016 को किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख के इसी सीमांकन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जाकर, उस पर मकान का निर्माण किया गया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु जो सूचना पत्र दिया गया है, उसमें दिनांक 12—11—2016 को सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, परन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन नहीं किया जाकर दिनांक 16—11—2016 को आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जबकि सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा बताया गया है ।

(3) पड़ोसी कृषकों को भी सीमांकन में सूचना नहीं दी गई है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत बने 2 एवं 3 के अन्तर्गत पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना आवश्यक है ।

(4) सीमांकन दल द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से भी प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि के आसपास की समीपवर्ती भूमि का भी सीमांकन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है ।

(6) अनावेदक की भूमि नहर हेतु अधिग्रहीत की गई है, इसका भी कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है।

तर्कों के समर्थन में 2009 आर.एन. 161 (उच्च न्यायालय), 2016 (2) आर.एन. 24, 2014 आर.एन. 69 एवं 2014 आर.एन. 303 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तत किया गया कि अनावेदक की भूमि का सीमांकन आवेदक सहित सभी हितबद्ध कृषकों को सूचना दी जाकर किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत संहिता की धारा 129 के पालन में कार्यवाही की जाकर स्थायी सीमा चिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, इसलिए वह कब्जा नहीं छोड़ने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन हेतु आवेदक को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसमें तारीखों में काट–पीट की गई है, जिससे सूचना पत्र संदेहस्पद हो गया है । सीमांकन कार्यवाही में नहर / रास्ते की स्थिति को आधार में नहीं लिया गया है । सीमांकन के लिए स्थायी सीमा चिन्ह क्या लिये गये हैं, इसका कोई उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में नहीं किया गया है । टी.एस.एम. मशीन से सीमांकन किया गया है लेकिन टी.एस.एम. मशीन में नक्शा नाप कर तैयार नहीं किया गया है । पटवारी नक्शा की प्रति भी संलग्न नहीं है और उसके संदर्भ में सर्वे की स्थिति अंकित नहीं है । सर्वे के नक्शे में भी जो कब्जा पाया गया है, उसे नहीं दर्शाया गया है । इस सम्बन्ध में 2014 आर.एन. 303 भेरूलाल विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 129–सीमांकन–भूमिस्वामी की भूमि के किस भाग पर–निकटवर्ती कृषक का कब्जा पाया गया–क्षेत्र पंजी में नहीं दर्शाया गया–ऐसा सीमांकन संदेहास्पद है–स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।''

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन अवैध एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर